



बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना-14, फोन नं०-2223727, 2224529 एवं फेक्स नं०- 2224529

अतिअल्पकालीन निविदा सूचना संख्या- 14/2016

1. निविदाकर्ता का पदनाम : मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना। 2. निविदा कागजात बिक्री की अन्तिम तिथि एवं समय 29-03-2016 अपराह्न 17:00 बजे तक। 3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय : 31.03.2016 को 15:00 बजे अपराह्न। 4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 31.03.2016 को 15:30 बजे अपराह्न। 5. परिमाण विपत्र का मूल्य मात्र शेषपूल्ड बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान पर, जो वापस नहीं किया जाएगा। 6. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान-(क) पुलिस निगम मुख्यालय, (ख) पुलिस महानिदेशक-सह-पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, मुख्य सचिवालय, पटना (ग) निविदा संबंधित प्रमण्डल से भी बिक्री होगी। 7. निविदा प्राप्ति का स्थान :- (क) ₹0 3.50 लाख से नीचे के कार्य की निविदा संबंधित प्रमण्डल में प्राप्त की जायगी। ₹0 3.50 लाख से उपर के कार्य की निविदा मुख्य अभियंता, पटना का कार्यालय। (ख) ₹0 3.50 लाख से उपर के कार्य की निविदा पुलिस महानिदेशक-सह-पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, मुख्य सचिवालय, पटना। 8. सभी निविदा एकल वीड पद्धति से प्राप्त की जायगी। 9. निर्माण कार्य का व्योरा :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रु. में)	अग्रधन की राशि ₹0 में।	परिमाण विपत्र का मूल्य ₹0 में	कार्य समाप्ति की अवधि	श्रेणी (कैटेगरी)
1.	बाँका जिलान्तर्गत सुईया थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढीकरण का कार्य	0.63	1300	500	1 माह	पिछड़ा वर्ग
2.	बाँका जिलान्तर्गत अनंदपुर थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढीकरण का कार्य	0.63	1300	500	1 माह	सामान्य
3.	बाँका जिलान्तर्गत बेलहर थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढीकरण का कार्य	0.63	1300	500	1 माह	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
4.	बाँका जिलान्तर्गत चान्दन थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढीकरण का कार्य	0.60	1200	500	1 माह	सामान्य
5.	बाँका जिलान्तर्गत बरहट थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढीकरण का कार्य	0.54	1100	500	1 माह	अनुसूचित जाति
6.	बाँका जिलान्तर्गत जयपुर थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढीकरण का कार्य	0.52	1100	500	1 माह	सामान्य
7.	बाँका जिलान्तर्गत शम्भूगंज थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढीकरण का कार्य	0.61	1300	500	1 माह	पिछड़ा वर्ग महिला
8.	बाँका जिलान्तर्गत कटोरिया थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढीकरण का कार्य	0.71	1500	500	1 माह	सामान्य
9.	बाँका जिलान्तर्गत रजौन थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढीकरण का कार्य	0.66	1400	500	1 माह	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
10.	बाँका जिलान्तर्गत धोरेया थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढीकरण का कार्य	0.76	1600	500	1 माह	सामान्य
11.	बाँका जिलान्तर्गत फुल्लीडुमर थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढीकरण का कार्य	0.63	1300	500	1 माह	पिछड़ा वर्ग
12.	बाँका जिलान्तर्गत खेसर थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढीकरण का कार्य	0.46	1000	500	1 माह	सामान्य
13.	बाँका जिलान्तर्गत बंधवारा खुर्वा थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढीकरण का कार्य	0.64	1300	500	1 माह	अनुसूचित जाति
14.	बाँका जिलान्तर्गत अमरपुर थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढीकरण का कार्य	0.66	1400	500	1 माह	सामान्य
15.	पटना जिलान्तर्गत गांधी मैदान के नजदीक बरीय पुलिस अधीक्षक के ऑफिस, रेस्ट रूम एवं शौचालय में विद्युतिकरण कार्य	9.95	19900	1250	1 माह	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
16.	नवादा जिलान्तर्गत केन्द्रीय कारा, नवादा में ERP system हेतु सर्वर रूम (टाईप-B) का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	2.61	5300	750	2 माह	सामान्य
17.	नालंदा जिलान्तर्गत मडल कारा, बिहारशरीफ में ERP system हेतु सर्वर रूम (टाईप-B) का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	2.37	4800	750	2 माह	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
18.	कटिहार जिलान्तर्गत बी0एम0पी0-7, कटिहार में बैरक सं0-7 का विशेष मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	8.92	17900	1250	1 माह	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
19.	मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत अहियापुर थाना में आदर्श थाना भवन में विद्युतिकरण कार्य	5.68	11400	1250	1 माह	सामान्य
20.	किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन थाना भवन का मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	6.93	13900	1250	1 माह	सामान्य
21.	पटना जिलान्तर्गत गृह रक्षा वाहिनी परिसर छज्जुवाग में महानिदेशक के कार्यालय कक्ष में बैरक एवं गार्ड बैरक का विशेष मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	1.27	2600	500	1 माह	अत्यंत पिछड़ा वर्ग

10. निविदा वैधता की अवधि 180 दिन होगी।
 11. इस निविदा की अन्य जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय तथा कार्यपालक अभियंता, पटना/भागपलपुर/पूर्णिवा/दरभंगा/मुजफ्फरपुर, कैम्प हाजीपुर एवं मगध, कैम्प-डेहरी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर कार्यविधि में देखा जा सकता है। इसके लिए सम्बन्धित पदाधिकारी से सम्पर्क भी तदनुसार किया जा सकता है।
 12. नियमानुसार अंकित क्मांक कोटियार आरक्षण के तहत आरक्षित किया जाता है। सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रायण प्रति तथा शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदाकार द्वारा दी गई सूचना गलत पाये जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा विषयांकित सुविधा से उन्हें हमेशा के लिए बंचित कर दिया जाएगा।
 13. अनुसूचित जाति, अनुसूचित अजजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के एक संवेदक को एक विधायक वर्ग में उच्च प्रावधानों के अधीन सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय द्वारा आवंटित कार्य की अधिकतम सीमा ₹0 25.00 लाख (पच्चीस लाख) होगी। इस हेतु संबंधित निविदादाता को एक शपथ पत्र के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में विषयांकित प्रावधान के आधार पर अब तक उन्हें आवंटित सभी कार्यों की कुल राशि की शपथ पत्र (Affidavit) देना अनिवार्य होगा।
 14. (क) आरक्षित कोटे की निविदा में भाग लेने हेतु कार्य की प्राक्कलित राशि के अनुरूप समुचित श्रेणी में यथा प्रावधानित ठीकेदारी पंजीकरण कराना निगम में आवश्यक होगा, जिसका पंजीकरण शुल्क 3000/- (तीन हजार रुपये) होगी। इस श्रेणी में निबंधित संवेदक 15.00 लाख तक की निविदा में ही भाग ले सकते हैं। जो संवेदक पूर्व से निगम में निबंधित हैं एवं आरक्षित कोटि के हैं, वे निविदा में भाग ले सकते हैं। उन्हें पुनः निबंधन कराना अनिवार्य नहीं होगा।
 14. (ख) अन्य सरकारी विभाग यथा- सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय के निबंधित संवेदक भी निविदा देने हेतु सक्षम होंगे, परन्तु निविदित कार्य आवंटित होने पर एकरारनामा के पूर्व उन्हें निगम में निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
 15. निम्न संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे:- (i) डिवार (Debar) या काली सूची में दर्ज, (ii) जिनके पास एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति के तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लम्बित हो, (iii) जो संवेदक कार्य आवंटन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरारनामा नहीं किए हैं एवं (iv) जो संवेदक कार्य आवंटन के बाद एकरारनामा कर लिए हों, परन्तु कार्य प्रारम्भ नहीं किए हों।
 16. निविदा में परिमाण विपत्र से 10% से अधिक कम दर उद्धृत करने वाले निविदादाता की निविदा अमान्य मानी जायगी। परिमाण विपत्र की दर से कम दर देनेवाले निविदादाता से Additional Performance guarantee रूप में अतिरिक्त अग्रधन की राशि लिया जायेगा।
 17. सभी गैर-अनुसूचित मदों का दर (शून्य या अस्पष्ट दर नहीं भरना है) संवेदक द्वारा यथोचित स्थान पर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में निविदा अमान्य मानी जायगी।
 18. किसी कार्य की प्रथम बार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा अल्पकालीन निविदा के रूप में आमंत्रित की जायगी।
 19. प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है, तदनुसार परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि देय होगी।
 समुचित अग्रधन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायगी। अग्रधन की राशि छः/पाँच वर्षीय बचत प्रमाण-पत्र/बैंक ड्राफ्ट अथवा, किसान विकास पत्र जो कार्य से संबंधित प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो मान्य होगा। परिमाण विपत्र का मूल्य मात्र शेषपूल्ड बैंक ड्राफ्ट के द्वारा दिनांक-19-03-2016 तक का ही बना हुआ स्वीकार होगा, जो महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के नाम हो एवं पटना में भुगतय हो एवं अग्रधन की राशि दिनांक-21-03-2016 तक का बना हुआ ही मान्य होगा।
 नोट :- इस विज्ञापन को पुलिस भवन निर्माण निगम के नेट-एडिशन www.bpbcc.co.in पर भी देखा जा सकता है।